मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY : UDAIPUR

क्रमांक : मोलासुविवि/सम्बद्धता/2021/1040 दिनांक : 28.07.2021

कार्यालय आदेश

माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्राइवेट कॉलेज यूनियन के अध्यक्ष–सचिव व विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ सत्र 2021–22 हेतु सम्बद्धता अभिवृद्धि/विस्तार के संबंध में संवाद बैठक विश्वविद्यालय अतिथि गृह, उदयपुर में दिनांक 10–07–2021 को प्रातः 11:30 बजे आयोजित हुई एवं संवाद पश्चात् माननीय कुलपति महोदय प्रसन्नता व्यक्त करते हुए निम्न आदेश प्रदान करते है :

(i) प्रतिवर्ष सम्बद्धता अभिवृद्धि पत्र (Extension of Affiliation letter) निम्नानुसार दस्तावेज जमा कराने पर जारी किये जावेंगे –
   (a) विश्वविद्यालय वेबसाईट पर महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु ऑनलाईन किये गये आवेदन की हार्डकोपी।
   (b) शपथ–पत्र 100 रूपये नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प पर
   (c) घोषणा–पत्र (Declaration) महाविद्यालय लेटरहेड पर
   (d) विश्वविद्यालय में जमा कराये गये सम्बद्धता शुल्क की रसीद की प्रति
   (e) राज्य सरकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की प्रति

(ii) ऐसे महाविद्यालय जिन्होंने सत्र 2021–22 की सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु सम्बद्धता शुल्क निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 28–02–2021 के पश्चात विश्वविद्यालय में जमा कराया गया है, ऐसे महाविद्यालयों को नियमानुसार विलम्ब शुल्क जमा करवाना आवश्यक है।

(iii) वर्तमान सत्र 2021–22 के लिए सम्बद्धता शुल्क जमा कराने की निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् विलम्ब शुल्क रूपये 40,000/– सहित सम्बद्धता शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 30–06–2021 को बढ़ाकर 31–07–2021 की जाती है।

(iv) नवीन महाविद्यालय/पुराने महाविद्यालयों द्वारा नवीन पाठ्यकम प्रारंभ किये जाने पर ऐसे महाविद्यालयों को सम्बद्धता निरीक्षण कमेटी की अनुशंषा के पश्चात् ही प्रदान की जाएगी।

(v) अकादमिक सत्र 2020–21 में नवीन प्रारंभ हुए महाविद्यालयों/पुराने महाविद्यालयों द्वारा नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गये, उन्हें कोविड–19 महामारी के कारण बिना निरीक्षण के केवल शपथ–पत्र के आधार पर ही सम्बद्धता पत्र जारी किए गये थे, ऐसे समस्त महाविद्यालयों को सत्र 2021–22 हेतु सम्बद्धता अभिवृद्धि पत्र निरीक्षण कमेटी की अनुशंषा के पश्चात् ही जारी किये जाएँगे।

28/7/21

कृ.प.उ:......2

(vi) सम्बद्धता अभिवृद्धि पत्र जारी करने के संबंध में महाविद्यालय के समस्त रिकॉर्ड/ दस्तावेज विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता अभिवृद्धि दस्तावेज सूची (चेक लिस्ट) के अनुसार समस्त दस्तावेजों की चेक लिस्ट के क्रमानुसार स्कैन कर सीडी में कॉपी कर सीडी पर महाविद्यालय का नाम, कॉलेज–कोड एवं सत्र अंकित करते हुए सम्बद्धता शाखा में दिनांक 12–08–2021 तक जमा करा रसीद प्राप्त करना सुनिश्चित करावें।

(vii) नवीन महाविद्यालय/नवीन विषय प्रारंभ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिवस में विश्वविद्यालय में नवीन सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु सम्बद्धता शुल्क जमा कराने व आवेदन करने पर कोई विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस अवधि के पश्चात् विश्वविद्यालय में सम्बद्धता शुल्क व आवेदन जमा कराने पर नियमानुसार विलम्ब शुल्क लिया जाएगा।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

28/7/21
(दलपत सिंह राठौड)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. समस्त, प्राचार्य/सचिव/निदेशक, सम्बद्ध महाविद्यालय, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर।
2. वित्त नियंत्रक, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर।
3. परीक्षा नियंत्रक, मो.ला.सु.वि.वि, उदयपुर।
4. उप–कुल सचिव(बैठक) को आगामी अकादमिक परिषद/प्रबंध मण्डल की बैठक में रिपोर्ट करने हेतु।
5. उप–कुल सचिव/सहायक कुलसचिव, गोपनीय/परीक्षा विभाग, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, इन्टरनेट सेन्टर, मो.ला.सु.वि.वि,उदयपुर को विश्वविद्यालय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी सचिव–कुलपति महोदय, मो.ला.सु.वि.वि,उदयपुर।
8. अति. निजी सचिव, कुलसचिव, मो.ला.सु.वि.वि,उदयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

28/7/21
(डॉ. एस. आर. मेनारिया)
सहायक कुलसचिव